Order Sheet [Contd] Case No 266/2017 एस0टी0

Date of Order or proceeding with Signature of presiding Parties or Proceeding 29.06.2017 राज्य द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। आरोपीगण सहित श्री के0पी0राठौर अधिवक्ता। अधिवक्ता श्री के0पी0राठौर ने एक आवेदनपत्र इस आश्रय का प्रस्तुत किया कि साननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप विरक्षित करने के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए आरोप को अपास्त कर दिया है और इसी आधार पर आरोपीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना किमनल रिवीजन क्रमोंक 1164/16 (अरविंद सिंह एवं अन्य वि० म0प्र० राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2017 की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के संघ में श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता ने प्रतिलिपि की सत्यता के संबंध में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से दिशित होता है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 14.10.2016 को भा.द.वि की धारा 306 का आरोप विरचित करने का जो आदेश दिया था उसे इस आधार पर अपास्त किया है कि प्रकरण में मा.द.वि की धारा 107 एवं 306 के आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं है और पुनरीक्षणकर्ता/ आरोपीगण को ओर से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय हारा पारित आदेश आरोप विरचित हिनांक 14.10.16 को अपास्त किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किमिनल विज्ञान कमांक 1164/16 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 के द्वारा आरोप अपास्त किये जाने से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त। प्रकरण में कोई मुत्यवान सम्प्रति जप्त नहीं है। जप्तशुदा सम्पत्ति मूत्यहीन होने से नष्ट की जाए। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे। (वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाशि गोहद जिला— भिण्ड म0000		Case No 200/	72017 94000
आरोपीगण सहित श्री के0पी०राठौर अधिवक्ता। अधिवक्ता श्री के0पी०राठौर ने एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए आरोप को अपास्त कर दिया है और इसी आधार पर आरोपीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। अवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किमिनल रिवीजन क्रमांक 1164/16 (अरविंद सिंह एवं अन्य वि० म०प्र० राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2017 की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के संध में श्री के0पी० राठौर अधिवक्ता ने प्रतिलिपि की सत्यता के संबंध में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से दिशित होता है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध दिनांक 14.10.2016 को भा.द.वि की धारा 306 का आरोप विरचित करने का जो आदेश दिया था उसे इस आधार पर अपास्त किया है कि प्रकरण में भा.द.वि की धारा 107 एवं 306 के अवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं है और पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश आरोप विरचित दिनांक 14.10.16 को अपास्त किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किमिनल रिवीजन कमांक 1164/16 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 के द्वारा आरोप अपास्त किये जाने से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त। प्रकरण में कोई मूल्यवान सम्पत्ति जप्त नहीं है। जप्तशुदा सम्पत्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।	Order or	Order or proceeding with Signature of presiding	Parties or Pleaders where
	29.06.2017	आरोपीगण सहित श्री के०पी०राठौर अधिवक्ता। अधिवक्ता श्री के०पी०राठौर ने एक आवेदनपत्र इस आशय का प्रस्तुत िक्या कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आरोप विरचित करने के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए आरोप को अपास्त कर दिया है और इसी आधार पर आरोपीगण को दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है। आवेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किमिनल रिवीजन कमांक 1164/16 (अरविंद सिंह एवं अन्य वि० म०प्र० राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 18.05.2017 की प्रति प्रस्तुत की है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के संध में श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता ने प्रतिलिपि की सत्यता के संबंध में अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध दिनांक 14.10.2016 को भा.द.वि की धारा 306 का आरोप विरचित करने का जो आदेश दिया था उसे इस आधार पर अपास्त किया है कि प्रकरण में मा.द.वि की धारा 107 एवं 306 के आवश्यक तत्व उपलब्ध नहीं है और पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत याचिका को स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश आरोप विरचित दिनांक 14.10.16 को अपास्त किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किमिनल रिवीजन क्रमांक 1164/16 में पारित आदेश दिनांक 10.05.2017 के द्वारा आरोप अपास्त किय जाने से आरोपीगण को दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण समाप्त। प्रकरण में कोई मूल्यवान सम्पन्ति जप्त नहीं है। जप्तशुदा सम्पन्ति मूल्यहीन होने से नष्ट की जाए। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।	AT POLITICAL PROPERTY OF THE POLITICAL PROPE